XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय
रेमेन्यु अपील वाद संख्या– 173/2008
धारा 48 (एफ0) बी0टी0एक्ट के अर्न्तगत

1. **चिन्तलाल दास**
2. **धनलाल दास**
3. **अनुप लाल दास**
4. **श्याम लाल दास**

सभी का पिता–स्व0 मोहन लाल दास, साकिन– घाटपानी सदरा कुमार टोली, थाना–बायसी, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदकगण

बनाम

मो0 इनाम अख्तर, पिता–नईमउद्दीन, साकिन– चौनपानी सदरा, थाना–बायसी, जिला–पूर्णियाँ

आ दे श

यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बायसी द्वारा बटाईदारी वाद सं0–03/07–08 में दिनांक 22.09.08 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा किया गया है । आवेदकगण एक छोटा किसान हैं तथा लगभग दो एकड. जमीन उनके पास है। साथ ही विपक्षी जमींदार हैं, खेती करने के लिए ट्रेक्टर रखने के लिए पक्का मकान है। आवेदकगण प्रश्नगत जमीन दिनांक 18.06.85 को रजिस्टर्ड डीड द्वारा वर्ष 1985 से 1990 तक के लिए बंधक रखा था। पुनः बंधक की अवधि समाप्त होने पर आवेदकगण स्वयं जोत–आबाद करने लगे। वर्ष 2006–07 में आवेदक सं0–1 एक झूठे मुकदमे में न्यायिक हिरासत में था और उक्त अवधि में प्रश्नगत जमीन पुनः मनकूल के रूप विपक्षी को दे दिया। मनकूल की अवधि समाप्त होने पर फिर से आवेदकगण खेत को जोत–आबाद करने लगे। उपरोक्त वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने दिनांक 07.08.07 को अंचल अधिकारी बायसी को समझौता परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर समझौता परिषद् का गठन किया। लेकिन समझौता परिषद् द्वारा कभी भी समझौता कराने का प्रयास नहीं किया गया । आठ माह की अवधि के उपरांत अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 27.05.08 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को समझौता परिषद का प्रतिवेदन जमा कर दिया गया । भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा अंचल पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अभिलेख को आदेशार्थ रखा गया । आदेश दिनांक 22.09.08 को पारित किया गया किन्तु दिनांक 14.11.08 तक आदेश को गूप्त रखा गया । 14.11.08 को आवेदक को कार्यालय से जब जानकारी मिली तब आवेदक दिनांक 19.11.08 को आदेश की प्रति प्राप्त किया ।

आवेदक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा दिए विवादास्पद आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील किया है।

दिनांक 24.01.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा समझौता परिषद के प्रतिवेदन

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

के आलोक में आदेश पारित किया गया है। परन्तु समझौता परिषद् के द्वारा अपने कर्त्तव्य का विधिवत पालन नहीं किया गया है। मात्र अंचल अधिकारी के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गयी है। निम्न न्यायालय द्वारा अन्य महत्वपूर्ण विन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा गठित समझौता परिषद के द्वारा प्रकिया के अनुसार कार्रवाई की गयी है एवं अंचल अधिकारी के द्वारा समझौता हेतु पुर्ण प्रयास किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तविक दखल–कब्जा एवं समझौता परिषद् के अनुशंसा के आधार पर है, जो न्यायोचित है।

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ